# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–309/2019**

सुमित्रा कुमारी

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सीकर।
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक नीमकाथाना, जिला सीकर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 25.02.2019
**आदेश की दिनांक** : 03.12.2024
**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर दिनांक 29.08.2008 को हुई थी। अपीलार्थी द्वारा 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषप्रद रूप से पूरा किया गया। अपीलार्थी का एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में चयन हुआ। इस कारण उसने दिनांक 01.01.2016 से राजकीय सेवा से त्याग पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी का त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया गया और अपीलार्थी के वेतन की कटौती की गई है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

> "It is, therefore, most respectfully prayed to your honour may kindly be allowed this appeal and the impugned notice dated 4.1.2019 issued by the respondent No.3 may kindly be quashed and set aside direct and the respondents to accept the resignation of the appellant w.e.f. 1.1.2016 and made the payment of due salary and earned leave from June 2013 to Jan. 2015 and other service benefits with interest @ 18% p.a.
>
> Any other appropriate order or direction which the Hon'ble Tribunal deems just and proper may also be passed in favour of the appellant."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने उक्त अपील बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए लम्बे बिलम्ब के बाद सारहीन और निरर्थक तथ्यो पर प्रस्तुत की है अपीलार्थी माह जून 2013 से जनवरी 2015 तक अधिकांशतः विधालय से अनुपस्थित रही है, अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन–दस्तावेजात अपीलार्थी द्वारा हटधर्मिता वश प्रस्तुत नही किये जाने के कारण विधि अनुसार सक्षम अधिकारिता द्वारा अवकाश स्वीकृति के अभाव में किसी भी प्रकार के बकाया का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी दिनांक 22.01.2016 को अपने पति श्री विश्वेश्वर दयाल मीना के साथ मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय नीमकाथाना मे उपस्थित हुई तथा अदेयता प्रमाण पत्र एवं सेवा त्याग पश्चात् अन्यत्र व्यवसाय करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की। इस सन्दर्भ मे तत्कालीन कार्यालयध्यक्ष एवं संबधित लिपिक ने उन्हे अवगत कराया कि जब तक संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय ढाणी हुल्डान द्वारा प्रार्थी के संबध मे विधालय स्तर पर एवं विभाग मे किसी तरह का कोई बकाया नही है, का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक उन्हे अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। इस पर कार्मिका ने यह निवेदन किया कि विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र उन्हें संस्था प्रधान की रिपोर्ट के बाद जारी कर दिया जावे परन्तु चूंकि वो राजकीय सेवा से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर चुकी है, अतः उन्हें सेवा त्याग पश्चात् अन्यत्र व्यवसाय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावे। प्रार्थीयां की बातों में विश्वास करते हुए इस शर्त पर मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय नीमकाथाना द्वारा दिनांक 22.01.2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि उक्त अदेयता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी (नियुक्ति अधिकारी) कार्यालयध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सीकर के कार्यालय को जमा करवा कर इसके आधार पर उनके कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाये एवं जहां आवश्यकता हो प्रस्तुत करे किन्तु प्रार्थीयां अपीलार्थी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को अपनी आवश्यकताअनुसार काम में ले लिया जो कि एक अनियमितता है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये अभिवचनों पर विचार किया गया।

4. जहां तक अपीलार्थी के त्याग पत्र की स्वीकृति का प्रश्न है, तो इस संबंध में हमारे विचार में त्याग पत्र को स्वीकार करने का कार्य प्रशासनिक कार्य है, जिसमें इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। त्याग पत्र के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग पूर्णतः सक्षम है, जिस बिन्दू पर यह अधिकरण गुणावगुण पर टिप्पणी करना उचित नहीं पाता है। जहां तक अपीलार्थी के बकाया वेतन का प्रश्न है, इस संबंध में हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने अपनी अपील में

कहीं भी यह वर्णित नहीं किया है कि वो किस दिनांक से किस दिनांक तक अवकाश पर रही और यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या अपीलार्थी ने अवकाश के लिए स्वीकृति प्राप्त की है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी माह जून 2013 से जनवरी 2015 तक अनुपस्थित रही है और उसने अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये हैं।

5. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर रही है, जिस अवधि के संबंध में वेतन के भुगतान का आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**